

1- निम्नलिखित न्यूनतम वेतन निर्धारणों के तहत भी आपूर्ति के लिये प्रस्तावित है :-

1- निम्नलिखित विभाग के निम्नलिखित पदों के संकल्प सं० 2/एम/50-01/95-11 दिनांक 29/12/90 के अन्तर्गत विभाग की विभागीय स्तर पर परिशिष्ट-5 के अनुसार विभाग की सेवा के लिये न्यूनतम वेतन निर्धारणों के अन्तर्गत अतिरिक्त वेतनमान रु० 480/- का प्रस्ताव और जो न्यूनतम वेतनमान में समाहित है कि परस्था पित है, तथा सिद्ध है कि वेतनमान में परिवर्तन हुआ है, जो न्यूनतम वेतनमान में दर्ज है।

निम्नलिखित विभाग के संकल्प संख्या 2/एम/50-57/88/218 वि० दिनांक 23/12/90 में यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि किसी न्यूनतम वेतन निर्धारण के अन्तर्गत परीक्षा पर प्रवेश के लिये प्रस्तावित न्यूनतम वेतन मान की स्वीकृति आदि के अन्तर्गत रु० 480/- के अतिरिक्त वेतनमानों का प्रस्ताव है, परन्तु उनके संबंध तथा कार्य प्रवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता है तो उन्हें भी निर्धारित मापदंड के अनुसार आदी की तर्जों अनुमान्य होगी।

2- निम्नलिखित पदों में न्यूनतम वेतन प्रवर्धन सचिवालय की अनुमति के आधारे निम्नलिखित पद न्यूनतम वेतन निर्धारणों के हैं :- सिद्ध है कि निर्धारित मापदंड के अनुसार तर्जों के अनुसार

	पद का नाम	वेतनमान
I.	अनुसर, मसि इएमएमएमपी०३ - मोटर लंब खलापी/रमोईया/माडूकण/ प्रयोगकर्ता वाहक तथा लेखक	रु० 350-425/-
II.	डेप्युटी एग्जिक्यूटिव, कोषागार सरकार- अध्यापक	रु० 375- 480/-
3.	तर्जों का निर्धारित मापदंड :- एक इन्डियन कालोन	

121 पुरुषों के लिए दो आदी फूलैन्ट एवं दो आदी फूल बर्ट तथा एक स्त्री प्रति दो वर्ष पर।

122 महिला के लिए दो आदी साड़ी उजला रंग काला या लाल बोर्डर एवं दो आदी ब्लाउज उजला या काला रंग प्रति दो वर्ष पर।

अन्य शीत कालोन

निम्नलिखित विभाग के पत्र सं० 2/एम/40-7/90-3175 दिनांक 16-6-1990 के अनुसार उन्हें एक उनी फूल स्प्रेड, एक कोट एवं एक टोपी शीत कालोन तर्जों के अन्तर्गत प्रति चार वर्ष पर देना है जिसका मिलान महिला निर्धारित मूल्य 621/- रु० है। तब तक वेतनमान मात्र है। निम्नलिखित विभाग के संकल्प संख्या 2/एम/40-40-57/88-433 दिनांक 24-1-1990 के अन्तर्गत महिला न्यूनतम वेतन निर्धारणों को न्यूनतम वेतन निर्धारणों की तरह प्रत्येक चार वर्ष पर न्यूनतम वेतनमान को न्यूनतम वेतनमान फूल स्प्रेड तथा एक उनी अथवा शीत कालोन तर्जों के अन्तर्गत आपूर्ति की जायेगी।

4- निम्नलिखित तर्जों की आपूर्ति होत :-

निम्नलिखित विभाग पुरुष तर्जों की आपूर्ति के लिये कारा बन्धन से तथा महिला तर्जों के लिये कारा बन्धन से ही तर्जों से की जायेगी। शीत कालोन पुरुष तर्जों के अन्तर्गत न्यूनतम वेतनमान का विभाग के निर्धारित दर के अन्तर्गत आपूर्ति की जायेगी।

महिला शोच कालीन मशीन का एक चांदी प्रारम्भिक संघ एवं ताल इकट्ठी के लिये प्रारम्भिक संघों में से चुना जा रहा है।

सभी आरक्षी अधीक्षक/सहायक/प्रार्थी प्रशिक्षण संस्थान/सोमोटी/विद्यार्थी/परिषद/कल्याण को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे अपने अधिनस्थ सुवर्ण कर्मचारियों के लिए निर्धारित वर्दी का एक वित्तीय निष्ठावली सं-2 परिसिस्ट-5111 नियम 24 का 51वीं के अंतर्गत करें। वर्दी रूप करने के पूर्व सोमोटी/प्रशासन से जांच होने वाली राशि का आवंटन सुनिश्चित करा है।

2- वित्तीय उपबंध :- सुवर्ण वर्दी कर्मचारियों के वर्दी पर होने वाली लागत की निष्ठा "2055 पुस्तिका के अन्तर्गत संबंधित शीर्ष के सामग्री एवं पूर्णियों पर से सम्बन्धित व्यय पट्टा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार अनिश्चित राशि के उपबंध के लिए सोमोटी/प्रशासन द्वारा कारवाही की जायेगी।

3- आरक्षी को एक प्रति महालेखाकार, निहार, राँची/पटना को दो या दो से अधिक

अनुत्तर:- सभी प्रशासिक कार्यों की प्रतिनिधि।

श्री अरुण कुमार चौधरी
महा निदेशक एवं आरक्षी महा निरीक्षक,
निहार, पटना।
/अपूर्ति.

क्रमांक 382

70-1-8-81

महा निदेशक एवं आरक्षी महा निरीक्षक कार्यालय, निहार।

पटना, दिनांक 29 जनवरी, 1981।

प्रतिनिधि:-

1- सभी आरक्षी अधीक्षक/रेल निहा सहित/सहायक/प्रार्थी/विद्यार्थी/परिषद/कल्याण/सोमोटी/विद्यार्थी/परिषद/कल्याण केन्द्र/पटना एवं ताता संघ प्रशिक्षण केन्द्र/आरक्षी अधीक्षक/विशेष निहा/आरक्षी अधीक्षक/अपराध अनुष्ठान/सोमोटी/कल्याण/सोमोटी/विद्यार्थी/परिषद/कल्याण को सूचना एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।

2- सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक/उप-महानिरीक्षक/प्रशिक्षण/उप-महानिरीक्षक, विद्यार्थी/अपराध अनुष्ठान विभाग/उप-महानिरीक्षक/पटना एवं उप-महानिरीक्षक, रेल, निहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।

3- सभी क्षेत्रीय महा निरीक्षक/महा निरीक्षक, सहायक/विद्यार्थी/अपराध अनुष्ठान विभाग/विशेष निहा/महा निदेशक, तकनीकी सेवाएं/महा निरीक्षक, रेल को सूचना प्रेषित।

4- महालेखाकार/रेल/निहार, दिनु, राँची/महालेखाकार/अधीक्षक, पटना को सूचना एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।

5- महिला, क्षेत्रीय कार्यालय को सूचना एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।

6- आरक्षी महा निरीक्षक के सहायक/प्रशासन/निहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक क्रियाएं प्रेषित।

7- आरक्षी महा अधिकारी, पी-2 को पुस्तिका पत्र में प्रकाशित की है।

8- आरक्षी महा अधिकारी, निहार, पटना को सूचना प्रेषित।

9- उप निहा, वित्त विभाग, निहार, पटना को उनके प्रशासिक कार्यों को सूचना प्रेषित।

श्री अरुण कुमार चौधरी
महा निदेशक एवं आरक्षी महा निरीक्षक,
निहार, पटना।

1/1/81